बिहार सरकार
वित्त विभाग

संoसंo-3एम-2-5/2000- 2८५ दिo-2 अप्रैल, 2002

संकल्प

विषय :- **टैक्सी/निजी कार/ऑटो रिक्शा से की गई सरकारी यात्रा हेतु यात्रा-भत्ता दर में संशोधन ।**

फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा पर यात्रा-भत्ता नियमावली के संगत प्रावधानों को संशोधित करते समय यह निर्णय लिया गया था कि निजी कार एवं टैक्सी से यात्रा करने पर अनुमान्य भत्ता का निर्धारण परिवहन विभाग के परामर्श से किया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु गठिन समिति की अनुशंसा सरकार के विचाराधीन थी ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के अंदर या बाहर ट्रेन/वायुयान से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिए अथवा अन्य बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर निम्नलिखित दर से अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान अनुमान्य होगा :-

(i) टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर - 8/- (आठ) रूपये प्रति किलोमीटर
(ii) ऑटो रिक्शा से यात्रा करने पर - 4/- (चार) रूपये प्रति किलोमीटर

3. मितव्ययिता परिपत्र के अनुसार निजी कार से यात्रा पर प्रतिबंध है । अतः निजी कार से सरकारी दौरे पर यात्रा अनुमान्य नहीं होगी किन्तु स्थानांतरण के बाद निजी कार से पदाधिकारी अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा यात्रा करने पर या कार का सड़क मार्ग से परिवहन कराने पर 5/-(पांच) रूपये प्रति किलोमीटर के दर से सड़क भत्ता देय होगा । रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के लिए रेल से कार ढुलाई का भाड़ा या उपर्युक्त सड़क भत्ता, जो भी कम हो, का भुगतान अनुमान्य होगा । बिहार यात्रा भत्ता नियमावली का नियम 85(viii) इस हद तक संशोधित समझा जाए ।

4. प्रीपेड टैक्सी/ऑटो रिक्शा के उपयोग की स्थिति में पूरा भाड़ा अनुमान्य किए जाने के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र संo-1524, दिनांक 10.2.2000 पूर्व से निर्गत है ।

आदेश :- *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए ।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5/4/2002

(रामेश्वर सिंह)
अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)

ज्ञापांक-3एम-2-5/2000- /पटना, दिनांक- 5 अप्रैल, 2002

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रामेश्वर

अपर वित्त आयुक्

ज्ञापांक-3एम-2-5/2000- /पटना, दिनांक- 5 अप्रैल, 2002

प्रतिलिपि - सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अ कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रामेश्वर सिंह

अपर वित्त आयुक्त (

ज्ञापांक-3एम-2-5/2000- /पटना, दिनांक- 5 अप्रैल, 2002

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित

(रामेश्वर सिंह)

अपर वित्त आयुक्त (संसा